

# उत्तर प्रदेश के चौराहों पर सार्वजनिक किए जाएंगे बिजली बकायेदारों के नाम : श्रीकांत

# जम्मू कश्मीर में आपदा से निपटने के लिए दिए जाएंगे अनुचित कामों में लगे

## अधिक भुगतान के साथ ही ऊंचे दामों पर की गई सरकारी खरीद

लखनऊ, 8 अगस्त (भाषा)।

बिजली बिल के बड़े बकायेदारों के खिलाफ 'नेम एंड शेम पॉलिसी' चलाने के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार चौराहों पर बड़े कट आउट, पोस्टर तथा इशतहार के जरिए उनके नाम सार्वजनिक करने की तैयारी कर रही है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने विशेष बातचीत में कहा, 'अब बड़े मगरमच्छों पर कार्रवाई आवश्यक हो गई है। बिजली के बड़े बकायेदारों के कट आउट, पोस्टर और इशतहार लगाने की तैयारी है। किसी एक ही क्षेत्र के पंद्रह बीस बड़े बकायेदारों के नाम चौराहे पर एक साथ पोस्टर पर लगाए जाएंगे।' उल्लेखनीय है कि इससे पहले बड़े बकायेदारों के खिलाफ 'नेम एंड शेम' पॉलिसी लाई गई थी, जिसके तहत ऐसे लोगों के नाम बाकायदा अखबारों में प्रकाशित किए गए।

शर्मा ने कहा, '40 हजार बड़े बकायेदारों के कनेक्शन काटे जा चुके हैं। बकायेदारों के

नाम सार्वजनिक हो रहे हैं। चौराहों पर नामों की सूची भी लगेगी।' प्रदेश के ऊर्जा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बकायेदारों को बिजली का बकाया बिल जमा करने के लिए सरकार की ओर से तमाम सरल विकल्प दिए गए। किस्तों में भुगतान की व्यवस्था की गई। सरल विकल्पों में सरचाज माफ़ी की योजना भी शामिल है। अवैध कनेक्शन को वैध करने की पेशकश भी की गई।

उन्होंने कहा कि बड़े बकायेदारों को राज्य सरकार की ओर से आगाह किया गया था कि वह समय रहते बकाया बिजली बिल का भुगतान कर दें। इसके बाद 'नेम एंड शेम' पॉलिसी लाई गई, जिसके तहत बड़े बकायेदारों के नाम सार्वजनिक किए गए। उन्होंने बताया कि नामों के प्रकाशन की प्रक्रिया 31 जुलाई तक चलाई गई।

इस पॉलिसी के तहत घरेलू और व्यावसायिक दोनों ही किस्म के कनेक्शनों को शामिल किया गया। अधिकारी ने बताया कि राज्य के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि वे

राजस्व विभाग के जरिए बकायेदारों से बिल वसूलने की प्रक्रिया प्रारंभ करें।

प्रदेश के ऊर्जा मंत्री कह चुके हैं कि हम दिन रात इसी कोशिश में लगे हैं कि बिजली को लेकर समस्याओं का समाधान कैसे हो और बिजली उपभोक्ता फ्रेंडली कैसे हो। उन्होंने कहा कि गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) रहने वाले परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन मिल रहा है।

शर्मा ने बताया कि इसके अलावा गांव और शहर की बाकी जनता के लिए एक और बड़ा फैसला योगी आदित्यनाथ सरकार ने लिया है। बीपीएल के अलावा अन्य लोगों यानी एपीएल परिवारों के लिए आसान किस्तों में बिजली कनेक्शन उपलब्ध है। शर्मा ने कहा कि बिजली की पर्याप्त उपलब्धता होने पर भी जरूर व्यवस्था के कारण इसका पूरा लाभ उपभोक्ताओं को नहीं मिल पा रहा है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि जरूर तारों, खांबा ट्रांसफार्मर, गले हुए पोल, झूलती तारें हमें विरासत में मिले हैं। इन्हें बदलने के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है।

श्रीनगर, 8 अगस्त (भाषा)।

नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (केग) ने वर्ष 2014 में जम्मू और कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों को दिए गए बचाव और सहायता के वितरण पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने राज्य में आपदा प्रबंधन की निराशाजनक स्थिति भी दर्शाई है। वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक राज्य आपदा प्रबंधन प्रतिक्रिया निधि (एसडीआरएफ) से खर्च हुए 1,369.16 करोड़ की राशि के ऑडिट का हवाला देते हुए केग ने बताया कि आपदा अल्पीकरण उद्देश्य के लिए किए जाने वाले व्यय में से 25 फीसद (342.43 करोड़) को अयोग्य कार्यों में लगाया गया।

केग के मुताबिक अधिक भुगतान करने और ऊंचे दाम पर सरकारी खरीद पर भी इसे खर्च किया गया। मार्च 2016 को खत्म

होने वाले वर्ष के लिए जम्मू और कश्मीर में आपदा प्रबंधन के प्रदर्शन लेखा पर केग की रिपोर्ट में यह खुलासा किए गए।

रिपोर्ट में कहा गया है कि बहुत-संकटजनक खतरों और पिछले कुछ समय में कई आपदाओं की घटनाओं के बावजूद राज्य सरकार द्वारा आपदाओं के प्रभाव को कम करने और उसके लिए तैयार रहने के लिए उठाए गए कदम उम्मीद के अनुरूप नहीं हैं।

सांस्थानिक व्यवस्थाओं, नीतियों और योजना निरूपण में कमियां हैं। साथ ही आपदा-पूर्व उपायों के क्रियान्वयन में भी खामियां हैं। 2014 की बाढ़ के बाद हुई अत्यवस्थाओं का उद्धारण देते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि विशेष योजना सहायता (एसपीए) के तहत क्षतिग्रस्त अवसंरचना के पुनःनिर्माण के लिए अक्टूबर 2014 में एक हजार करोड़

रुपए मुहैया कराए गए थे।

'हालांकि 4.66 करोड़ एसपीए की शर्तों का उल्लंघन करते हुए खर्च किए गए और 37.58 करोड़ रुपए उन कार्यों पर खर्च किए गए जो क्षतिग्रस्त अवसंरचना के पुनःनिर्माण से संबंधित नहीं थीं। रिपोर्ट में कई और उदाहरण दिए गए हैं जिनमें आपदा प्रबंधन के लिए दिए गए कोष का अनुचित प्रयोग किया गया है।

रिपोर्ट में सरकार को सलाह दी गई है कि वह सभी जिलों (खासकर 13 बहु-संकटजनक जिलों में अतिसंवेदनशीलता) में संकट और जोखिम का मूल्यांकन करे और जोखिम मानचित्र तैयार करे, जो आपदा तत्परता के लिए साधनों की प्राथमिकता और अग्रगत रणनीतियों के निरूपण को सक्षम बनाए। इसमें पूर्वकालीन चेतावनी प्रणाली भी शामिल हो।

## बीए की छात्रा की दुपट्टे से गला दबाकर हत्या लड़की के चेहरे को तेजाब डालकर जलाया

सहारनपुर, 8 अगस्त (जनसत्ता)।

देवबंद कोतवाली के गांव अंबेहटा शेखां निवासी देवबंद राजकीय डिग्री कालेज की बीए के तीसरे साल की एक छात्रा पर उसी के गांव के एक युवक ने मंगलवार को अपने कार परिजनों के साथ मिलकर दुपट्टे से गला दबाकर हत्या कर दी। और बाद में मृतका के चेहरे को तेजाब डालकर जला दिया। युवक छात्रा से एकतरफा प्यार करता था।

घटना की सूचना पाकर पुलिस अधीक्षक (एसपी) देहात विद्या शंकर मिश्र, सीओ सिद्धार्थ सिंह और देवबंद के कोतवाल पंचज स्यागी घटनास्थल पहुंचे। मृतका के पिता ने कोतवाली में दी तहरीर में कहा कि उनकी बेटी मंगलवार करीब 11 बजे देवबंद कालेज जाने के लिए घर से निकली थी। लेकिन गांव में ही उससे एकतरफा प्यार करने वाले राहुल और उसके भाइयों रवि, शुभम और सुमित समेत पांच लोगों ने उसकी हत्या कर दी। मृतका की भाभी ने देखा कि राहुल लड़की को जबरन खींचकर अपने साथ जंगल में ले जा रहा है। परिजनों के मुताबिक आरोपियों ने पारूल का उसके दुपट्टे से गला घोट दिया और बाद में उसके ऊपर तेजाब डड़ल दिया। इससे लड़की का चेहरा जलकर काला हो गया।

एसपी देहात ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हत्या के कारणों का पता चलेगा। पुलिस मृतका के पिता की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच करेगी। झूठी शान के लिए हत्या के सवाल पर एपीएल का कहना था कि पुलिस बारीकी से तहकीकात करेगी तभी पूरी सच्चाई सामने आ पाएगी। इसलिए अभी इस पर कुछ भी कहना ठीक नहीं रहेगा।

राजगढ़ (मध्य प्रदेश), 8 अगस्त (भाषा)।

जिले में एक स्कॉर्पियो कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े दो लोगों को टक्कर मारने के बाद नाले में गिर गई, जिससे चार लोगों की मौत हो गई। घटना जिले के बाइपास पर

जबलपुर-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई। कोतवाली पुलिस थाना प्रभारी मुकेश गौड़ ने मंगलवार को बताया कि यह हादसा सोमवार की रात हुआ। उस वक्त राजगढ़

निवासी मजदूर भगवान सिंह अपनी पत्नी हुकुम बाई और बेटे विवान सहित सड़क किनारे खड़ा था और तभी तेजी से आ रही स्कॉर्पियो उसकी पत्नी और बेटे को टक्कर मारते हुए नाले में जा गिरी।

## सार्वजनिक सूचना

एतद्वारा हम अपने सभी सम्बन्धितों को यह सूचित करना चाहते हैं कि

चैनल:

हाऊसफुल मूवीज़

(एलसीएन 232)

आरटी मूवीज़

(एलसीएन 234)

30 अगस्त, 2017 से हमारे प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं होगा।

VIDEOCON (d2h)

Digital DTH Service

वीडियोकॉन d2h लिमिटेड, मुंबई

दिनांक: 9 अगस्त, 2017

**एडीएस डावग्नोस्टिक लिमिटेड**  
पंजी. कार्यालय: 114, संत नगर, ईस्ट अफ कांसा, नई दिल्ली-110065  
फोन: 011-41620434, 41622193  
फैक्स: 011-41665880  
ई-मेल: admedical@rediffmail.com  
वेबसाइट: www.addsdiagnosticindia.net  
CIN: L85110DL1984PLC018486

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि अन्य बातों के साथ-साथ, 30 जून, 2017 को समाप्त तिमाही के लिए अंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार करने हेतु कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक मंगलवार, 22 अगस्त, 2017 को 11:4, संत नगर, ईस्ट अफ कांसा, नई दिल्ली-110065 में आयोजित की जाएगी।

कृते: एडीएस डावग्नोस्टिक लिमिटेड  
हस्ताक्षर /  
स्थान: नई दिल्ली एन.एन. गांधी  
दिनांक: 06.08.2017 कपनी सचिव

## "IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

## कार्पोरेशन बैंक

अंचल कार्यालय - दिल्ली (का अग्रणी बैंक)  
फैज रोड-1, नई दिल्ली-110005, फोन नंबर 011-28755515, 28754642  
ई मेल: dlrec@corpbank.co.in  
वेबसाइट: www.corpbank.com

मेगा ई नीलामी बिक्री सूचना के लिए जनसत्ता तिथि 03.08.2017 में प्रकाशित विज्ञापन (क्रम सं. 55) शालीमार बाग शाखा की संपत्तियों को नीलामी के लिये रखा गया था। हम इन संपत्तियों को नीलामी से वापस ले रहे हैं। अन्य सभी खाते/विवरण/नियम एच शर्त अपरिवर्तित रहेंगे। प्राधिकृत अधिकारी, कार्पोरेशन बैंक

**spice**  
SPICE MOBILITY LIMITED  
Regd. Office : S Global Knowledge Park, 19A-819B, Sector - 125, Noida 201301, District Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh  
Email id: complianceofficer@spicemobility.in, Website: www.spicemobility.in  
Tel: +91 120 3355131, CIN No - L72900UP1986PLC008448

Extract of Unaudited Consolidated Financial Results for the Quarter ended June 30, 2017

Particulars	For the Quarter Ended 30/06/2017		Year ended 31/03/2017		For the Quarter Ended 30/06/2016	
	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Unaudited)
Total Income from operations	19,373.54	89,064.62	23,726.96			
Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	(362.87)	(2,016.50)	(1,664.58)			
Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(640.46)	(2,828.60)	(2,164.58)			
Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items and/or Non controlling Interest)	(633.18)	(3,568.56)	(2,376.90)			
Total Comprehensive Income/(Loss) for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income/(Loss) (after tax)]	(1,000.66)	(4,492.00)	(2,788.77)			
Equity Share Capital (Face value Rs 3/- per share)	5,420.43	5,420.43	5,419.83			
Reserves (Excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of Previous year)		22,481.81				
Earnings per share (for continuing and discontinued operations) (of Rs 3/- each)						
Basic:	(0.28)	(1.57)	(1.04)			
Diluted:	(0.28)	(1.57)	(1.04)			

Notes:  
1. Key Standalone Financial Information is given below:

Particulars	For the Quarter Ended 30/06/2017		Year ended 31/03/2017		For the Quarter Ended 30/06/2016	
	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Unaudited)
Net Sales / Income from Operation	0.00	15,472.24	6,481.86			
Profit/(Loss) before tax	(220.70)	(8,763.74)	(295.46)			
Net Profit/(Loss) after tax	(220.70)	(8,747.21)	(295.46)			

2. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on August 8, 2017. The full format of the Quarterly Unaudited Financial Results are available on the Stock Exchange website(s) www.bseindia.com, www.nseindia.com and on the Company's website www.spicemobility.in.

By order of the Board  
For Spice Mobility Limited  
Dilip Modi  
Chairman

Dated: August 8, 2017

Place: Noida

## पंजाब नेशनल बैंक

मंडल कार्यालय : दक्षिण दिल्ली, शाखा कार्यालय एनआईटी फरीदाबाद [निलम सिनिया हॉल के पीछे]

### कब्जा सूचना (अचल सम्पत्तियों के लिए नियम 8 (1) के अन्तर्गत)

यह सूचना दी जाती है कि वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(12) तथा सम्पत्ति नियम 9 प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में बैंक ने प्रत्येक दिनांक के मांग नोटिस जारी किया है जिसमें मांग करते हुए उक्त नोटिस प्राप्ति की दिनांक से 60 दिनों के भीतर राशि का पुनर्गठन करने हेतु कहा गया था। ऋणी द्वारा राशि के पुनर्गठन करने में असफल होने पर, ऋणीयों एवं जमासाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) व संशोधित अधिनियम 8 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अप्रोप्रीएटरी ने प्रत्येक खाते के सम्बन्धित दिनांक को निम्नलिखित सम्पत्तियों को जब्त करने से लिया है। ऋणी एवं जमादार को विशेष रूप से एवं जमासाधारण को सामान्य रूप से सावधान किया जाता है, कि इस सम्पत्ति के वास्तु बंधों के अभाव में ऋण और सम्पत्ति में किया गया कोई भी व्यवहार पंजाब नेशनल बैंक की बकाया राशि तथा ब्याज के अन्वेषण होगा। सम्पत्तियों का विवरण निम्नलिखित कक्षा दिया गया था - निम्न प्रकार है:-

ऋणी/सम्पत्ति मालिक/जमानदार का नाम	बंधक सम्पत्ति का विवरण	बकाया राशि (धारा 13(2) के नोटिस के अन्तर्गत वर्णित)	मांग सूचना की दिनांक	कब्जे की दिनांक
1. कमलेश उप्पल पत्नी श्री के.एल. उप्पल, निवासी मकान नं. 126, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सेक्टर-10, फरीदाबाद	श्रीमती कमलेश उप्पल पत्नी श्री के.एल. उप्पल के नाम से मकान नं. 199, सेक्टर 10, एचआईडी-बी, क्षेत्रफल 200 वर्गगज, आसन्न क्षेत्र 1100 वर्गफीट, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी फरीदाबाद, उत्तर : मकान नं. 126, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सेक्टर-10, फरीदाबाद	14,22,814/- दिनांक 30.04.2017 से प्रभावी भविष्य के ब्याज के साथ	19.05.2017	03.08.2017
2. श्री अनुराग उप्पल पुत्र श्री के.एल. उप्पल, निवासी मकान नं. 126, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सेक्टर-10, फरीदाबाद	श्रीमती कमलेश उप्पल पत्नी श्री के.एल. उप्पल निवासी मकान नं. 199, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सेक्टर-10 फरीदाबाद	19.05.2017 से प्रभावी भविष्य के ब्याज के साथ	30.04.2017 से प्रभावी भविष्य के ब्याज के साथ	
3. श्रीमती शीतल उप्पल पत्नी श्री अनुराग उप्पल, निवासी मकान नं. 126, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सेक्टर-10, फरीदाबाद	श्रीमती कमलेश उप्पल पत्नी श्री के.एल. उप्पल निवासी मकान नं. 199, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सेक्टर-10 फरीदाबाद	19.05.2017 से प्रभावी भविष्य के ब्याज के साथ	30.04.2017 से प्रभावी भविष्य के ब्याज के साथ	
4. श्रीमती कमलेश उप्पल पत्नी श्री के.एल. उप्पल, निवासी मकान नं. 199, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सेक्टर-10 फरीदाबाद	श्रीमती कमलेश उप्पल पत्नी श्री के.एल. उप्पल निवासी मकान नं. 199, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सेक्टर-10 फरीदाबाद	19.05.2017 से प्रभावी भविष्य के ब्याज के साथ	30.04.2017 से प्रभावी भविष्य के ब्याज के साथ	
5. श्री अनुराग उप्पल पुत्र श्री के.एल. उप्पल, निवासी मकान नं. 199, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सेक्टर-10 फरीदाबाद	श्रीमती कमलेश उप्पल पत्नी श्री के.एल. उप्पल निवासी मकान नं. 199, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सेक्टर-10 फरीदाबाद	19.05.2017 से प्रभावी भविष्य के ब्याज के साथ	30.04.2017 से प्रभावी भविष्य के ब्याज के साथ	
6. श्रीमती शीतल उप्पल पत्नी श्री अनुराग उप्पल, निवासी मकान नं. 199, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सेक्टर-10 फरीदाबाद	श्रीमती कमलेश उप्पल पत्नी श्री के.एल. उप्पल निवासी मकान नं. 199, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सेक्टर-10 फरीदाबाद	19.05.2017 से प्रभावी भविष्य के ब्याज के साथ	30.04.2017 से प्रभावी भविष्य के ब्याज के साथ	

दिनांक : 09.08.2017 स्थान : फरीदाबाद हस्ताक्षर, प्राधिकृत अधिकारी पंजाब नेशनल बैंक

## कार्पोरेशन बैंक

सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी बैंक

अंचल कार्यालय: दिल्ली दक्षिण, प्रथम तल, कार्पोरेशन बैंक बिल्डिंग, 1, फैज रोड, झण्डेवाला, नई दिल्ली-110005, फोन : 011-28755514 / 28755096, 7042650554

ईमेल : cb8821rec@corpbank.co.in, वेबसाइट : www.corpbank.com

### अचल/चल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी की सार्वजनिक सूचना ईएमडी

घरोहर राशि तथा दस्तावेजों की प्रस्तुति की अंतिम तिथि व समय : 14-09-2017 को सांय 5.00 बजे तक

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन (सर्कलेटी) अधिनियम 2002 (2002 की सं. 54) के अधीन बैंक के पास बंधक पड़ी चल / अचल सम्पत्ति की बिक्री, जैसाकि कार्पोरेशन बैंक, के प्राधिकृत अधिकारी ने बैंक की बकाया राशि की वसुली हेतु 'जो है जहाँ है', 'जैसी है जो कुछ भी है' एवं 'दायित्व रहित आधार पर' उसको बेचने के अधिकार के साथ हमारी शाखाओं के पास निम्नलिखित ऋण खाते में वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन (सर्कलेटी) अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अधीन जारी की गयी सूचना के अनुप्रयोग में निम्नलिखित खाता कब्जा ले लिया है। इसकी बिक्री वेब साइट: <https://bankauctions.in> में प्रदान किये गये ई-नीलामी लिंक के माध्यम से अप्रोप्रीएटरी द्वारा की जाएगी।

### चल / अचल सम्पत्तियों का विवरण

क्र. सं.	शाखा का नाम, पता, फोन नं. और ई-मेल आईडी	ऋणधारक का नाम	सम्पत्ति का विवरण	प्रतिभूति ऋण मांग सूचना की तारीख	आरक्षित मूल्य घरोहर राशि बोली वृद्धि राशि	नीलामी की तिथि व समय	ईएमडी प्रेषण खाता और IFSC कोड
1	सोहना शाखा, बिल्डिंग नं. 34 / 15 जैन अस्पताल के पास, दिल्ली अलवर रोड सोहना, जिला मुडगांव (हरियाणा)-122103, फोन: 0124-2362049, 2362050, ईमेल: cb1081@corpbank.co.in, सम्पत्ति से संबंधित जानकारी हेतु सम्पर्क करे श्री अनिल कुमार सिंह, मो. 9810724039	'कर्जदार: नैसरत मोहम्मद ग़ुल उद्योग प्रोप. आस मोहम्मद गाँव रैवासन, क्रोशिंग ज़ोन प्लॉट नं. 1 नूड मैप-122107'	सम्पत्ति स्टोन क्रशिंग इकाई जोकि खेवत/खाता नं. 214/270, रैक्ट नं. 45, किला नं. 19/22(1-3), 201(6-17), गाँव रैवासन, ताहसील नूड, जिला मेवात, हरियाणा, कुल क्षेत्रफल 8 कनाल 0 मारला, चौकी: उत्तर में - क्रशिंग युनिट का प्रवेश द्वार 20 फीट चौड़ा कच्चा रोड, दक्षिण में - अन्य की सम्पत्ति, पूर्व में - 20 फीट चौड़ा कच्चा रोड, त्यागा कशर युनिट तक, पश्चिम में - श्री आस मोहम्मद के स्वामित्व में कशर युनिट का भाग	₹ 76,91,412.00 + भविष्य का ब्याज,लागत, खर्च प्रभार इत्यादि, मांग सूचना दिनांक 16.05.2016, कब्जा सूचना की तारीख 01-02-2017	₹ 70.00 लाख ₹ 7.00 लाख ₹ 1.00 लाख	15-09-2017 पूर्व: 11.45 बजे तक अपरा: 1.15 बजे तक	खाता नं. 108100201999952 IFSC कोड: CORP001081
2	पंजाबी शाखा, वल्लार नं. 520, मेन रोड, पंचमाल पर के पास रजोकरी, नई दिल्ली-110038, फोन: 011-25066396, ईमेल: cb1384@corpbank.co.in, सम्पत्ति से संबंधित जानकारी हेतु सम्पर्क करे श्री हरिन्दर कुमार श्रीवास्तव, मो. 7042597445	'कर्जदार: श्री सुरेश कुमार सिंह और श्रीमती नीतू सिंह, सीडीए एलआईडी फ्लैट नं. 185, प्रथम तल, पीकेटी-बी-1, टाईप-ए, लोकनायक पुरम, बकवरवाला, नई दिल्ली-110041	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं आश जोकि सीडीए एलआईडी फ्लैट नं. 185, प्रथम तल, पीकेटी-बी-1, टाईप-ए, लोकनायक पुरम, बकवरवाला, नई दिल्ली-110041 में स्थित, चौकी: उत्तर में - प्रदेश/सीडियों की लॉबी, दक्षिण में - खुला भाग, पूर्व में - खुला भाग, पश्चिम में - प्लैट नं. 186	₹ 16,41,028.57 + भविष्य का ब्याज,लागत, खर्च प्रभार इत्यादि, मांग सूचना दिनांक 15-03-2017, कब्जा सूचना की तारीख 29-05-2017	₹ 13.00 लाख ₹ 1.30 लाख ₹ 50,000/-	15-09-2017 पूर्व: 11.45 बजे तक अपरा: 1.15 बजे तक	खाता नं. 138400201999952 IFSC कोड: CORP001384

नियम एवं शर्तें

1. ई-नीलामी 'जो है जहाँ है', 'जैसी है जो कुछ भी है' आधार पर' आयोजित की जा रही है।

2. सफल बोलीदाता को बिक्री मूल्य की 25% राशि, पहले अदा की गई ई-नीलामी समायोजित करने के बाद, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली मूल्य स्वीकार किए जाने के तुरन्त बाद जमा करना होगा तथा शेष 75% राशि बिक्री के 15वें दिन अथवा उससे पहले जमा करनी होगी, या व त्रिस्तुति समय के अंतिम तिथि 3 महीने से ज्यादा न हो, अधिस्तम अवधि 3 महीने के अंदर करनी होगी। यह भुगतान प्राधिकृत अधिकारी के खाते में RTGS/NEFT द्वारा 30.09.2017 तक या उससे पहले करनी होगी, सफल बोलीदाता द्वारा भुगतान में चूक की स्थिति में पहले जमा की गई राशि जब्त मानी होगी और सम्पत्ति की नीलामी नए सिरे से की जाएगी तथा सूचनाओं बोलीदाता का सम्पत्ति/राशि के संबंध में कोई दावा / अधिकार मान्य नहीं होगा।

3. किसी भी सविधिक और अन्य बकाया अथवा पहले से लाया या उसी समय उत्पन्न देनदारों का भुगतान सफलदाता को ही करना होगा।

4. प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान एवं सूचना के अनुसार सम्पत्ति पर कोई भार नहीं है। इच्छुक बोलीदाता नीलामी की जाने वाली सम्पत्ति पर किसी भी भार, दाखलत और सम्पत्ति पर किसी भी दावे /अधिकार/ बकाए के संबंध में बोली जमा करने से पहले सूचित जांच कर सकते हैं। सम्पत्ति बैंक को प्राप्त और अज्ञा